

//आदेश//

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल का वर्ष 2025 का तृतीय सत्र दिनांक 19.12.2025 से प्रारम्भ हो रहा है। उक्त के दृष्टिगत पूर्व की भांति विधान सभा/विधान परिषद में चर्चा के लिये निर्धारित तिथि/समय पर विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है ताकि यदि किसी सूचना की आवश्यकता हो तो उसे तत्काल उपलब्ध कराया जा सके तथा सदन की कार्यवाही अविरल गति से चल सके।

2- उपरोक्तानुसार कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करने के लिये निम्न प्रकार नोडल अधिकारी नामित किए जाते हैं-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम व पदनाम	विधान भवन का नाम	कार्यालय का पता	दूरभाष/मो०नं०
1	श्री विनोद यादव, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान), राज्य कर, लखनऊ।	विधान सभा	उत्तर प्रदेश राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।	7235003016
2	श्री विपुल सिंघल, संयुक्त आयुक्त (टैक्स ऑडिट), राज्य कर लखनऊ प्रथम	विधान परिषद	अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर लखनऊ जोन प्रथम, लखनऊ	9450666621

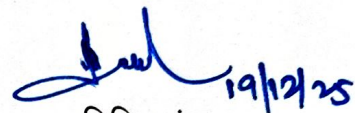
3- मा० विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय द्वारा कार्य स्थगन/औचित्य के प्रश्न आदि से सम्बंधित सूचनाएं/विषय से सम्बन्धित राज्य कर विभाग की सूचनाओं का उत्तर उसी दिन नोडल अधिकारी को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाये, ताकि उनके द्वारा सदन में शासन का पक्ष समुचित रूप से प्रस्तुत किया जा सके और शासन को सदन में असमंजस की स्थिति का सामना न करना पड़े।

4- उपर्युक्त नोडल अधिकारी मा० विधान मण्डल के दोनों सदनों के प्रत्येक उपवेशन में समय पर पास बनवाकर सदन की अधिकारी दीर्घा में रहकर उपर्युक्त कार्य सम्पन्न करेंगे तथा जीरो डिले के आधार पर सूचना उपलब्ध करायेंगे एवं विभाग से सम्बन्धित प्रश्न एवं लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय की सूचना अविलम्ब प्रमुख सचिव राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन के साथ-साथ आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश को देंगे।

5- मा० विधान मण्डल सत्र के दौरान लखनऊ से बाहर तथा मुख्यालय पर कोई बैठक आयोजित नहीं करेंगे तथा इस अवधि में कोई अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय से बाहर न जाये और यदि अपरिहार्य कारणों से बाहर जाना हो तो सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए जाने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़कर बाहर जायेंगे।

क्रमशः 2

6- दोनो सदनों में विभागीय अधिकारी त्रुटिरहित सूचना उपलब्ध करायेंगे। विभागीय अधिकारियों का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि विधानमण्डल के दोनों सदनों में विधेयकों के प्रस्तुत होने की तिथि से पूर्व विचार एवं पारण हेतु नियत तिथि से पूर्व अपने विभागीय मंत्री जी, मा० संसदीय कार्यमंत्री जी एवं मा० नेता सदन, विधान परिषद को ब्रीफ कर दें ताकि किसी असुविधाजनक स्थिति का सामना न करना पड़े, और सदन में सरकार का पक्ष प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।



(डा० नितिन बंसल)

आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, राज्य कर उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ।
- 2- विशेष सचिव राज्य कर अनुभाग-5 उ०प्र० शासन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिकारियों के विधान सभा सचिवालय पास बनवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 3- समस्त अपर आयुक्त राज्य कर, मुख्यालय।
- 4- समस्त नोडल अधिकारियों को अनुपालनार्थ।
- 5- समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अवधि में किसी अधिकारी/कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत न किया जाये और न ही स्वीकृति हेतु मुख्यालय को संस्तुति की जाए।
- 6- समस्त अनुभाग अधिकारी (प्रभारी), राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
- 7- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर उक्त आदेश प्रदर्शित किये जाने हेतु।
- 8- कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग), राज्य कर मुख्यालय।

(जैस्मिन)

संयुक्त आयुक्त (स्था० राज०)
राज्य कर, मुख्यालय।